न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,सप्तम्,औरंगाबाद।
सत्रवाद संख्या–08/93/178/22
सुरजन भुईयॉ बनाम् बिहार राज्य
(देव) ढिबरा थाना काण्ड संख्या– 24/93
सी0आई0एस0सं0:–143/2022

18.08.2022 दिनांक 08.06.2022 से काराधीन आवेदक अभियुक्त सुरजन भुईयॉ की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा पूर्व में दिनांक 20.07.222 को दाखिल जमानत आवेदन को आज प्रचालित किये जो ढिबरा थाना काण्ड संख्या 24/93 अंतर्गत धारा 302,307,324,379,120(बी)/34 भा0दं0वि0 तथा 3/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम से संबंधित है।

विद्वान विधिज्ञ आवेदक अपना जमानत आवेदन को संचालित करते हुये कहते हैं कि आवेदक अभियुक्त का बंध पत्र दिनांक 25.04.2022 को उचित पैरवी के अभाव में माननीय न्यायालय द्वारा विखंडित किया गया है। आवेदक अभियुक्त पूर्व से जमानत पर था और जान बूझकर जमानत का दुरूपयोग नहीं किया है। अधिवक्ता लिपिक के द्वारा कोरोना अवधि में उचित पैरवी नहीं किये जाने के कारण बंध पत्र विखंडित हो गया है। आवेदक अभियुक्त शपथ देने को तैयार है कि वह भविष्य में प्रत्येक तिथि को न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगा। अतः आवेदक अभियुक्त को किसी भी राशि के जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक का कहना है कि आवेदक अभियुक्त दिनांक 05.04.2022 को सदेह न्यायालय में उपस्थित नहीं आये जिसके कारण बंध पत्र खंडित हो गया था। अतः जमानत का लाभ दिया जा सकता है।

उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त पूर्व से जमानत पर थे परन्तु न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दिनांक 25.04.2022 को न्यायालय में सदेह उपस्थित नहीं रहने के कारण दिनांक 25.04.2022 को बंध पत्र विखंडित हो गया था। आवेदक अभियुक्त सुरजन भुईयॉ को कारा में बिताये गये अवधि तथा कोरोना अवधि को ध्यान में रखते हुए मो0 दस हजार रूपये एवं समान राशि के दो प्रतिभुओं द्वारा बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

दिनांक:–18/08/2022

अपर सत्र न्यायाधीश,सप्तम्
औरंगाबाद।

पश्चात्

18.08.2022 आवेदक अभियुक्त सुरजन भुईयॉ की ओर से दस हजार के दो प्रतिभु का बंध पत्र दाखिल किया गया जिसे जॉचोपरांत सही पाकर..... किया गया। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्त को कारा से मुक्ति हेतु अविलम्ब मुक्ति आदेश निर्गत करें।

अपर सत्र न्यायाधीश,सप्तम्
औरंगाबाद।